

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), पाली
क्रमांक/सहायता/ SDRF/TOW/ 2021-22/ 9565 दिनांक : 28.09.2022
प्रेषित :

संयुक्त शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान जयपुर

विषय : एस.डी.आर. आफ. के तहत दिनांक 01.02.2022 से किये गये पेयजल
परिवहन के विपत्रों के भुगतान हेतु राशि की मांग बाबत।
रिपोर्ट/प्रमाणन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1(16) आ.प्र.एवं सहा. /सामान्य/2021/14149-73 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा पाली जिले के ग्रामों को गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया। प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अ.शा.टीप क्रमांक एफ.4(1) आ.प्र.एवं स.आ./पेय.परि. /2021/470-80 दिनांक 12.01.2022 के निर्देशों के क्रम में जिले में कुल ग्रामों से अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण सम्पूर्ण जिले में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था एस.डी.आर.एफ. से पेयजल परिवहन व्यवस्था की गई।

उक्त संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार प्राप्त विपत्रों के भुगतान हेतु राशि रुपये 942.92 लाख का बजट आवंटन करवाने का श्रम करावे।

भवदीय

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली